फर्द अहकामें

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

सम्पत सिंह बनाम लता कंवर वगै०

मुकदमा नम्बर :– 69/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विषय
	17/2/25	व.फ.उप.। प्रार्थी सं. 15 की प्रा.पत्र रद्दी पेश की। जो मूल वाद में शा.फि. की पत्रावली बाद तलबी व जवाब ए.ए. हेतु आगामी दिनांक 17/2/25 को पेश हो।	
	17/2/25	व.फ.उप.। पत्रावली बाद तलबी व जवाब दावा हेतु आगामी दिनांक 24/2/25 को पेश हो।	
	24/2/25	व.फ.उप.। प्रार्थी सं. 15 बाद लंबित अस्थायी है, अतः इसके विरुद्ध स्थायी कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब का उत्तर प्रा.पत्र ए.ए. पर लीया बहस की। बहस प्रा.पत्र सुनी गयी। प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का है जो प्राथमिक डिक्री जारी है। उक्त प्रकरण में पूर्व से अन्तरिम स्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है। उभय आदेश मूल वाद कार्यवाही के ता-फैसला मूल वाद लंबित होता है ताकि पक्षकारान का न्यायोचित प्रभावित होता है। अतः उभय के मध्य वाद बहुलता का बचे। अतः आदेश दिनांक 16/8/24 को ता. फैसला मूल वाद कार्यवाही किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उक्त नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)